(वाद सं0.-809/4/20/2021)

04-10-2023

संचिका आज उपस्थापित की गई।

प्रसंगधीन मामला, दिनांक– 03.01.2021 को हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित उस समाचार से संबंधित है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध मे दिये गये दिशा निर्देश के विपरीत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर समाचार पत्र में उनका चित्र प्रकाशित कराया गया ।

उपरोक्त पर सभी संबंधित पक्ष को सुनने के उपरान्त राज्य आयोग द्वारा दिनांक–13.07.2023 को पारित अपन आदेश द्वारा प्रसंगाधीन मामले में निम्नलिखित अनुशंसा की गई :–

(1) **राज्य आयोग तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के उपरोक्त कृत्य भर्त्सना करती है।**

(2) **प्रसंगाधीन मामले के पीड़ित सभी 06 अभियुक्तों को उनके मानवाधिकार हनन के क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक पोड़ित/अभियुक्त को पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये, आदेश पारित होने के आठ सप्ताह के अन्दर, राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

(3) **राज्य सरकार प्रसंगाधीन मानवाधिकार हनन से संबंधित पुलिस के इस तरह की प्रवृति को रोकन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधित पुलिस**

पदाधिकारियों को निर्गत करे, जिससे कि भविष्य में इस तरह के कृत्य की पुनरावृति न हो सके।

राज्य आयोग द्वारा पारित उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार सरकार के ज्ञापांक 11051 दिनांक–12.09.2023 के द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति राज्य आयोग को उपलब्ध कराई गयी ह जिसमें कांड की सभी 06 (छह) पीड़ितो 1. सुमित श्रीवास्तव 2. मो0 ताजिम 3. हरिओम 4. हर्ष कोइली 5. मो0 साहिल एवं 6. शंभु प्रसाद यादव, जिला– मधेपुरा को, प्रत्येक को ₹ 25,000/– की दर से कुल ₹ 1,50,000/ –(एक लाख पचास हजार रूपये) क्षतिपूर्ति/मुआवजा के रूप में भुगतान करने का जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में राज्य सरकार द्वारा 06 (छह) पीड़ितो को राज्य आयोग के अनुशंसा के आलोक, में क्षतिपूर्ति/मुआवजा के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार, के स्वीकृत्यादेश को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को **संचिकास्त** किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध है कि उपरोक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में यथाशीघ्र सभी छहो पीड़ितो को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति के साथ **गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार** से प्राप्त स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न करते हुए **जिला पदाधिकारी, मधेपुरा** को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए उसकी एक प्रति परिवादी को भी उपलब्ध कराई जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव